

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय
मांग संख्या 3
पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	2517.97	8.00	2525.97	3536.11	43.89	3580.00	3647.52	15.76	3663.28	3466.38	44.02	3510.40	
<i>वसूलियां</i>	-68.52	...	-68.52	
<i>प्राप्तियां</i>	-435.35	...	-435.35	-480.00	...	-480.00	-390.27	...	-390.27	-410.40	...	-410.40	
निवल	2014.10	8.00	2022.10	3056.11	43.89	3100.00	3257.25	15.76	3273.01	3055.98	44.02	3100.00	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. <i>सचिवालय</i>													
1.01	स्थापना व्यय	31.40	...	31.40	38.27	...	38.27	37.51	...	37.51	41.00	...	41.00
1.02	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	5.18	...	5.18	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00
	<i>जोड़- सचिवालय</i>	<i>36.58</i>	...	<i>36.58</i>	<i>44.27</i>	...	<i>44.27</i>	<i>43.51</i>	...	<i>43.51</i>	<i>47.00</i>	...	<i>47.00</i>
2.	पशु स्वास्थ्य संस्थान	14.57	1.49	16.06	17.01	3.74	20.75	24.82	5.18	30.00	29.11	7.89	37.00
3.	लघु पशुधन संस्थान	41.09	1.66	42.75	39.60	5.40	45.00	47.23	2.77	50.00	53.63	6.37	60.00
4.	नस्ल सुधार संस्थान	42.11	2.22	44.33	41.76	5.88	47.64	43.89	3.11	47.00	45.13	6.87	52.00
5.	मात्स्यिकी संस्थान	80.63	2.63	83.26	78.97	15.87	94.84	87.96	4.70	92.66	105.33	14.17	119.50
	जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	214.98	8.00	222.98	221.61	30.89	252.50	247.41	15.76	263.17	280.20	35.30	315.50
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय													
सांविधिक और विनियामक निकाय													
6.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण	2.00	...	2.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.50	...	4.50
स्वायत्त निकाय													
7.	राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	13.99	...	13.99	5.00	...	5.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
अन्य													
8. <i>दिल्ली दुग्ध योजना</i>													
8.01	डीएमएस के व्यय	391.64	...	391.64	442.00	13.00	455.00	360.27	...	360.27	381.68	8.72	390.40
8.02	घटाइए- प्राप्तियां	-435.35	...	-435.35	-480.00	...	-480.00	-390.27	...	-390.27	-410.40	...	-410.40
	<i>निवल</i>	<i>-43.71</i>	...	<i>-43.71</i>	<i>-38.00</i>	<i>13.00</i>	<i>-25.00</i>	<i>-30.00</i>	...	<i>-30.00</i>	<i>-28.72</i>	<i>8.72</i>	<i>-20.00</i>
9.	पाकिस्तान द्वारा जव्त किए गए मत्स्यन यानों के प्रतिस्थापन हेतु	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00	3.92	...	3.92

(₹ करोड़)

पैकेज	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	-43.61	...	-43.61	-37.00	13.00	-24.00	-26.08	...	-26.08	-28.72	8.72	-20.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	-27.62	...	-27.62	-28.00	13.00	-15.00	77.92	...	77.92	75.78	8.72	84.50
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
श्वेत क्रांति												
10. राष्ट्रीय डेयरी योजना (ईएपी)	389.98	...	389.98	324.91	...	324.91	324.91	...	324.91
11. राष्ट्रीय डेयरी योजना-II	0.01	...	0.01
12. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम	170.42	...	170.42	280.00	...	280.00	270.07	...	270.07	325.00	...	325.00
13. डेयरी उद्यमशीलता विकास	203.02	...	203.02	323.00	...	323.00	323.00	...	323.00	325.00	...	325.00
14. राष्ट्रीय गोकुल मिशन	187.73	...	187.73	301.50	...	301.50	750.50	...	750.50	302.00	...	302.00
15. राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ को सहायता	0.50	...	0.50	3.00	...	3.00	100.00	...	100.00
16. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि	37.00	...	37.00	15.00	...	15.00	58.00	...	58.00
17. सहकारिताओं के जरिये डेयरी (ईएपी)	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
18. पशुधन जनगणना तथा एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	17.98	...	17.98	64.20	...	64.20	52.00	...	52.00	150.00	...	150.00
19. पशुधन स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण	298.40	...	298.40	508.77	...	508.77	391.43	...	391.43	474.98	...	474.98
20. राष्ट्रीय पशुधन मिशन	306.28	...	306.28	380.00	...	380.00	300.00	...	300.00	380.00	...	380.00
21. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि	1.00	...	1.00	25.00	...	25.00
जोड़-श्वेत क्रांति	1573.81	...	1573.81	2219.89	...	2219.89	2430.92	...	2430.92	2140.00	...	2140.00
नीली क्रांति												
22. मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन	321.45	...	321.45	632.61	...	632.61	500.00	...	500.00	550.00	...	550.00
23. मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि	10.00	...	10.00	1.00	...	1.00	10.00	...	10.00
जोड़-नीली क्रांति	321.45	...	321.45	642.61	...	642.61	501.00	...	501.00	560.00	...	560.00
24. वास्तविक वसूली	-68.52	...	-68.52
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	1826.74	...	1826.74	2862.50	...	2862.50	2931.92	...	2931.92	2700.00	...	2700.00
कुल जोड़	2014.10	8.00	2022.10	3056.11	43.89	3100.00	3257.25	15.76	3273.01	3055.98	44.02	3100.00
ख. विकासात्मक शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. पशु पालन	417.93	...	417.93	593.62	...	593.62	962.16	...	962.16	619.63	...	619.63
2. डेयरी विकास	683.71	...	683.71	843.37	...	843.37	833.33	...	833.33	678.38	...	678.38
3. मत्स्य पालन	99.61	...	99.61	137.51	...	137.51	192.75	...	192.75	248.94	...	248.94
4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	36.47	...	36.47	44.27	...	44.27	43.51	...	43.51	47.00	...	47.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5. पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	...	5.37	5.37	...	15.02	15.02	...	11.06	11.06	...	21.13	21.13
6. डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय	13.00	13.00	8.72	8.72
7. मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय	...	2.63	2.63	...	15.87	15.87	...	4.70	4.70	...	14.17	14.17
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1237.72	8.00	1245.72	1618.77	43.89	1662.66	2031.75	15.76	2047.51	1593.95	44.02	1637.97
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	286.32	...	286.32	264.67	...	264.67	295.92	...	295.92
9. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	772.62	...	772.62	1141.85	...	1141.85	945.35	...	945.35	1150.43	...	1150.43
10. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3.76	...	3.76	9.17	...	9.17	15.48	...	15.48	15.68	...	15.68
जोड़-अन्य	776.38	...	776.38	1437.34	...	1437.34	1225.50	...	1225.50	1462.03	...	1462.03
कुल जोड़	2014.10	8.00	2022.10	3056.11	43.89	3100.00	3257.25	15.76	3273.01	3055.98	44.02	3100.00

1.01. **स्थापना व्यय:** यह प्रावधान सचिवालय के व्यय, मुख्यालय में नेटवर्क आधारित सूचना प्रणाली और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों में योगदान के लिए है।

2. **पशु स्वास्थ्य संस्थान:** यह प्रावधान पशु संगरोध सेवा केंद्रों और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान के लिए है।

3. **लघु पशुधन संस्थान:** यह प्रावधान लघु केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, क्षेत्रीय चारा केंद्र और केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म शामिल के लिए है।

4. **नस्ल सुधार संस्थान:** यह प्रावधान केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, केंद्रीय पशु यूथ पंजीकरण योजना और केंद्रीय हिमिंत वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए हैं।

5. **मात्स्यिकी संस्थान:** यह प्रावधान मात्स्यिकी संस्थान के लिए है जिसमें भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान, मात्स्यिकी के लिए केंद्रीय तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, केंद्रीय मात्स्यिकी नौचालन इंजीनियरिंग एवं प्रशिक्षण संस्थान और जलीय पशु स्वास्थ्य एवं संगरोध निदेशालय शामिल हैं।

6. **तटीय जलकृषि प्राधिकरण:** यह प्रावधान चेन्नई स्थित तटीय जलकृषि प्राधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

7. **राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड:** यह प्रावधान हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के स्थापना संबंधी व्यय और उनके द्वारा लागू की जाने वाली अलग योजना के लिए है।

8. **दिल्ली दुग्ध योजना:** यह प्रावधान दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है जिसे प्रारंभ में सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और बाद में दूध और घी आदि की बिक्री से प्राप्त राजस्व से पूरा किया जाता है।

11. **राष्ट्रीय डेयरी योजना-II:** यह प्रवधान क्रियान्वयन एजेंसियों के नेटवर्क के साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जानेवाली अतिरिक्त बाह्य योजनाओं के लिए है।

12. **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम:** यह प्रावधान अनुमोदित परियोजनाओं हेतु विभिन्न दुग्ध संघों/राज्य दुग्ध परिसंघों को निधियां जारी करने के लिए है।

13. **डेयरी उद्यमशीलता विकास:** यह प्रावधान देश में डेयरी क्षेत्र में उपरोजगार अवसरों के सृजन के उद्देश्य से नाबार्ड के जरिए कार्यान्वित की जा रही योजना के लिए है।

14. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन, देसी नस्ल तथा राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता मिशन नामक नई योजना के अंतर्गत आबंटनों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत एक साथ मिला दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य गोजातीय उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तथा समेकित तरीके से देसी नस्लों का संरक्षण तथा विकास करना है।

15. **राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ को सहायता:** यह बजट प्रावधान राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ की कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं में सहायता देने के लिए।

16. **डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि:** यह प्रावधान, नाबार्ड के माध्यम से कार्यान्वित होने वाली नई योजना के लिए है, जिसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर प्रसंस्करण और शीतल बुनियादी ढांचे और दूध मिलावटी परीक्षण उपकरण पर ध्यान केंद्रित करना है।

18. **पशुधन जनगणना तथा एकीकृत नमूना सर्वेक्षण:** यह बजट प्रावधान पशुधन जनगणना योजना के लिए है जिसमें 20वीं पशुधन जनगणना, 2017 की तैयारी का कार्य शुरू किया गया है और उस एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के लिए है जिसमें सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कराए गए नमूना सर्वेक्षण के आधार पर प्रमुख पशुधन उत्पाद अर्थात् दूध, अंडा, मांस और ऊन आदि अनुमानित है।

19. **पशुधन स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण:** इस योजना में विभिन्न टीकाकरणों, कौशल विकास तथा पशुचिकित्सा आवसंरचना के सृजन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके धारणीय पशुधन स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकारों की गतिविधियों को सम्पूरित करने के लिए निधियां रखी जाती हैं। इस प्रावधान में व्यावसायिक दक्षता विकास के हिस्से के रूप में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और राज्य पशु चिकित्सा परिषदों के लिए अनुदान शामिल हैं।

20. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** यह प्रावधान पशुधन सेक्टर, विशेषरूप से पशु, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं तथा अन्य छोटे पशुधन के धारणीय विकास के उद्देश्य से संबंधित योजना के लिए है।

21. **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि:** यह प्रावधान पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की नई योजना के लिए है

22. **मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन:** यह प्रावधान मात्स्यिकी के एकीकृत विकास तथा प्रबंधन हेतु पुनर्संरचित योजना के लिए है जिसमें अंतर्जलीय मात्स्यिकी, जलजीवकृषि, समुद्रीय मात्स्यिकी आदि शामिल हैं।

23. **मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि:** यह कोष देश में मछुआरों के लाभ के लिए नई योजना मत्स्य पालन और जलीय कृषि विकास कोष के लिए रखा जाता है